छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–अप्रैल,2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन उल्लेख

सुकमा जिले के चिन्तागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवान।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–02) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

- (i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016.
- (ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016.
- (iii) अधिसूचना क्रमाक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 7 जुलाई, 2017.
- (iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 26 फरवरी, 2019.
- (v) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/XII, दिनांक 14 अगस्त, 2019 तथा
- (vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 6 फरवरी,2020 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) की धारा 39 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1361/एफ–03/28/विविध/2019/14–2. दिनांक 2 मार्च, 2020 पटल पर रखेंगे।

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक पटल पर रखेंगे।

(8) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) पटल पर रखेंगे।

(9) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(10) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/2009/29–1(7), दिनांक 12 जुलाई, 2019 पटल पर रखेंगे।

(11) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619–ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 पटल पर रखेंगी।

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 पटल पर रखेंगी।

(13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(14) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016–2017 एवं सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2017–2018 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 3

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, सदस्य, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ निवासी की दुर्लभ बीमारी से मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये 9–9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) एवं 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9–9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

'"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम–234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020–2021 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम परसदा में हाई स्कूल खोलने,

(ii) हसौद से छपोरा मार्ग में भेड़ीकोना के पास बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(iii) ग्राम मरघट्टी में हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम घोघरी में हाई स्कूल खोलने तथा

(v) ग्राम नरियरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

9. वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित–

निर्धारित समय 2 घंटे

मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल	
मांग संख्या	13	कृषि	
मांग संख्या	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
मांग संख्या	16	मछलीपालन	
मांग संख्या	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
मांग संख्या	23	जल संसाधन विभाग	
मांग संख्या	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
मांग संख्या	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
मांग संख्या	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
मांग संख्या	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	

10. संकल्प

श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

''छत्तीसगढ़ राज्य के अतिशेष खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादन (धान, गन्ना, मक्का आदि) से बायो एथेनॉल बनाने की दीर्घ अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हेतु अनुमति एवं पेट्रोल में मिश्रण हेतु धान से बनाये जाने वाले एथेनॉल की दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया जाय ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में नये बायो एथेनॉल संयंत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके और राज्य के किसानों को फसलों का प्रतिदान प्राप्त हो।''

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 25 मार्च, 2020